

एसईसी-1/187(2)/2024/2090

दिनांक: 11 दिसंबर, 2024

लिस्टिंग विभाग, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - ४०० ०५१	कॉर्पोरेट संबंध विभाग, बीएसई लिमिटेड पहली मंजिल, फिरोज जीजीभोय टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१
स्क्रिप कोड-RECLTD	स्क्रिप कोड-532955
Listing Department, National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra kurla Complex, Bandra (East), <u>Mumbai-400 051</u>	Corporate Relationship Department, BSE Limited 1 <sup>st</sup> Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, <u>Mumbai - 400 001</u>
Scrip Code-RECLTD	Scrip Code-532955

विषय: आईईपीएफ प्राधिकरण को अदावाकृत लाभांश/इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण की सूचना के संबंध में समाचार पत्र की क्लिपिंग्स प्रस्तुत करना।

महोदय/महोदया ,

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 30 के अनुसरण में, कृपया 11 दिसंबर 2024 को 'बिजनेस स्टैंडर्ड' (अंग्रेजी) और 'बिजनेस स्टैंडर्ड' (हिंदी) संस्करण में प्रकाशित विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) प्राधिकरण को अदावाकृत लाभांश/इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण की सूचना के संबंध में समाचार पत्र की क्लिपिंग्स संलग्न हैं।

यह आपकी जानकारी के लिए है।

धन्यवाद,

Jyoti  
Shubhra  
Amitabh

भवदीय,



(जे. एस. अमिताभ)

कार्यकारी निदेशक और कंपनी सचिव

संलग्न : उपरोक्तानुसार

क्षेत्रीय कार्यालय : बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता,

लखनऊ, मुंबई, पंचकूला, पटना, रायपुर, रांची, शिलांग, शिमला, तिरुवनंतपुरम और विजयवाड़ा

राज्य कार्यालय : वडोदरा, वाराणसी

प्रशिक्षण केंद्र : आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (आरईसीआईपीएमटी), हैदराबाद



**आरईसी  
REC**

अनंत ऊर्जा, अनंत संभावनाएँ  
Endless energy. Infinite possibilities

**आरईसी लिमिटेड | REC Limited**

(भारत सरकार का महासूचक उद्यम) (A Mahasudhakar Government of India Enterprise)  
Regd. Office: Core-4, SCOPE Complex, 7 Lodhi Road, New Delhi-110003  
Corporate Office: REC World Headquarters, Plot No. 1-4,  
Near IFFCO Chowk Metro Station, Sector-29, Gurugram-122001 (Haryana)  
Tel.: +91-124-4441300 | Website: www.recindia.nic.in  
CIN: L40101DL1969GOI005095 | GST: 06AAACR4512R323

## NOTICE FOR TRANSFER OF UNPAID DIVIDENDS/EQUITY SHARES TO IEPF AUTHORITY

### Attention: Shareholders of REC Limited

Notice be and is hereby given that pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("Rules") and amendments made thereto, the dividends which remained unclaimed for seven years will be credited to the Investor Education and Protection Fund ("IEPF") and thereafter corresponding shares on which dividends were unclaimed for seven consecutive years will also be transferred to the IEPF.

Accordingly, individual communications have already been sent by REC Limited ("the Company") at the latest available addresses of the concerned shareholders, requesting them to claim dividend amounts which have remained unpaid/unclaimed consecutively for a period of seven years, as per the details mentioned below:-

Particulars	Date of declaration	Last date for claiming dividend	Timeline for transfer of unclaimed dividend amounts and shares to IEPF Authority
Interim dividend 2017-18	February 6, 2018	March 11, 2025	On or before April 11, 2025
Final dividend 2017-18	September 25, 2018	October 22, 2025	On or before November 22, 2025

The details of such shareholders are also available on the website of the Company at <https://recindia.nic.in/iepf-details>. In view of the same, such shareholders are requested to claim their unclaimed/unpaid dividends amounts and accordingly forward the requisite documents to Registrar and Share Transfer Agent (R&TA) of the Company viz. Alankit Assignments Limited (Unit: REC Limited), 205-208, Anarkali Complex, Jhandewalan Extension, New Delhi - 110055. For any Information, kindly contact R&TA at email: [virenders@alankit.com](mailto:virenders@alankit.com), Tel.: 011-42541234 | 011-42541954 OR the Company at email: [complianceofficer@recindia.com](mailto:complianceofficer@recindia.com), Tel.: 01242715476, to claim the unclaimed dividend amount(s).

In case, requisite documents from the concerned shareholders are not received on or before March 11, 2025 (in case of Interim Dividend for FY 2017-18) and October 22, 2025 (in case of Final Dividend for FY 2017-18), the equity shares along with the unpaid dividend amounts, having completed seven years, shall be transferred to IEPF Authority, without any further notice. No claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amounts and equity share(s) transferred to IEPF pursuant to the said Act and Rules. However, the unclaimed dividend amounts and corresponding shares transferred to the IEPF Authority including all benefit(s) accruing on such shares, if any, can be claimed back after following the procedure prescribed in the IEPF Rules.

Further, shareholders holding equity shares in physical form are advised to update KYC and other requisite documents in the prescribed forms available on the website of the Company at "<https://recindia.nic.in/forms>".

**For REC Limited  
Sd/-**

**(J. S. Amitabh)**

**Executive Director &  
Company Secretary**

**Date: December 11, 2024  
Place: Gurugram**

**Energizing and empowering India since 1969**





**आरईसी  
REC**

असीमित ऊर्जा, असीमित संभावनाएँ  
Endless energy. Infinite possibilities.

**आरईसी लिमिटेड | REC Limited**

(भारत सरकार का सहायक उपक्रम) (A Maharatna Government of India Enterprise)  
पंजीकृत कार्यालय: कोर-4, स्कूप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003  
निगमित कार्यालय: आरईसी वैश्विक मुख्यालय, प्लॉट नं. आई-4  
इकनो वीकेंड मेट्रो स्टेशन के पास, सेक्टर-29, गुरुग्राम - 122001 (हरियाणा)  
फोन: +91-124-4441300 | ईमेल: [www.recindia.nic.in](mailto:www.recindia.nic.in)  
सीआईएन: L40101DL1969GOI005095 | जीएसटी: 08AAACR4512R3Z3

## आईईपीएफ प्राधिकरण को अप्रदत्त लाभांश/इक्विटी शेयरों के अंतरण की सूचना

**ध्यान दें: आरईसी लिमिटेड के शेयरधारक**

एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 124 (6) के प्रावधानों तथा विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियमावली, 2016 ("नियम") के साथ पठित और उसमें किए गए संशोधनों के अनुसार, पिछले सात वर्षों से अदावाकृत लाभांश को विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में जमा किया जाएगा और उसके बाद संबंधित शेयर, जिन पर लाभांश लगातार सात वर्षों से अदावाकृत थे, उसे भी आईईपीएफ में अंतरित किया जाएगा।

तदनुसार, संबंधित शेयरधारकों के वर्तमान मौजूद पत्तों पर आरईसी लिमिटेड ("कंपनी") द्वारा व्यक्तिगत रूप से पत्र पहले ही भेजे जा चुके हैं, जिसमें उनसे लाभांश राशि का दावा करने का अनुरोध किया गया है, जो नीचे उल्लिखित विवरण के अनुसार लगातार सात वर्षों की अवधि के लिए अप्रदत्त/अदावाकृत है:-

विवरण	घोषणा करने की तिथि	लाभांश का दावा करने की अंतिम तिथि	आईईपीएफ प्राधिकरण को अदावाकृत लाभांश राशि और शेयरों के अंतरण की समय-सीमा
अंतरिम लाभांश 2017-18	06 फरवरी, 2018	11 मार्च, 2025	11 अप्रैल, 2025 को या उससे पहले
अंतिम लाभांश 2017-18	25 सितंबर, 2018	22 अक्टूबर, 2025	22 नवंबर, 2025 को या उससे पहले

ऐसे शेयरधारकों का विवरण कंपनी की वेबसाइट <https://recindia.nic.in/iepf-details> पर भी उपलब्ध है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, ऐसे शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपनी अदावाकृत/अप्रदत्त लाभांश राशियों के लिए दावा करें और तदनुसार अपेक्षित दस्तावेजों को कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आर एंड टीए) अर्थात् अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड (यूनिट: आरईसी लिमिटेड), 205-208 अनारकली कॉम्प्लेक्स, झंडेवाला एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055 पर भेजें। किसी अन्य जानकारी के लिए कृपया आर एंड टीए को संपर्क करें ई-मेल: [virenders@alankit.com](mailto:virenders@alankit.com), दूरभाष: 011-42541234 011-42541954 अथवा अदावाकृत लाभांश राशि (राशियों) का दावा करने के लिए कंपनी को ई-मेल: [compliance@recindia.com](mailto:compliance@recindia.com), दूरभाष: 01242715476 पर संपर्क करें।

यदि संबंधित शेयरधारकों से अपेक्षित दस्तावेज 11 मार्च, 2025 (वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंतरिम लाभांश के मामले में) एवं 22 अक्टूबर, 2025 (वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंतिम लाभांश के मामले में) को या उससे पहले प्राप्त नहीं होते हैं, तो सात वर्ष पूरे होने पर अप्रदत्त लाभांश राशि के साथ इक्विटी शेयर बिना कोई सूचना दिए आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित कर दिए जाएंगे। उपर्युक्त अधिनियम और नियमावली के अनुसरण में आईईपीएफ को अंतरित, अदावाकृत लाभांश राशियों और इक्विटी शेयर (शेयरों) के संदर्भ में कंपनी के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जा सकेगा। तथापि, अदावाकृत लाभांश और संबंधित शेयरों जो आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित किए जा चुके हैं, आईईपीएफ नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद, उसे शेयर (शेयरों) पर होने वाले सभी लाभ सहित, यदि कोई हो, वापस दावा किया जा सकता है।

इसके अलावा, कागज के रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वे केवाईसी और कंपनी की वेबसाइट "<https://recindia.nic.in/forms>" पर उपलब्ध निर्धारित फॉर्मों में अन्य आवश्यक दस्तावेजों को अद्यतन करें।

कृते आरईसी लिमिटेड

हस्ता/-

दिनांक: 11 दिसंबर, 2024

स्थान: गुरुग्राम

(जे.एस. अमिताभ)

कार्यपालक निदेशक एवं कंपनी सचिव